न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– महेश सिंह पिता चन्द्रमोहन सिंह सा0 तुरबुल।

बनाम

वाद सं0 /0[illegible] / 2021

द्वितीय पक्ष– मनोहर साहु पिता राचन्द्र सहु सा0 तुरबुल।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	**दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
6/8/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 04 / 2021 दिनांक 11 / 02 / 2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) महेश सिंह उम्र 34 वर्ष पिता चन्द्रमोहन सिंह सा0 तुरबुल थाना कामडारा **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) मनोहर साहु उम्र 22 वर्ष पिता रामचन्द्र साहु सा0 तुरबुल थाना कामडारा जिला गुमला के बीच खाता सं0 2791, 2910, 2762, 2911 में दिवाल निर्माण को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्त्रोत्रो से अप्राप्त है। उभय पक्ष न्यायालय के बाहर अपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनाम दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । भूमि सुधार उपसमाहर्ता बसिया, (गुमला) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.05 12:15:49 +05:30
Location: 192.168.1.2